चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 08.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 08.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 08.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(4). आज दिनांक 08.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर परिवहन शाखा में वाहनों को चलाकर वाहनों की कमियों को देखा तत्पश्चात बैरिक, सीपीसी कैन्टीन,पुलिस मेस,क्वार्टर गार्द,स्टोर रूम व नव निर्मित भवन का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक को जल्द से जल्द सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में अपराध निरीक्षक श्री विनय विक्रम सिंह,उ0नि0 श्री शम्भूशरण सिंह व उनकी टीम द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 06.04.2025 को थाना मानिकपुर अन्तर्गत ग्राम निवासी वादी द्वारा थाना पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री के साथ आरोपी शारदा कोल पुत्र सिपाहीलाल निवासी ऐलहा बढैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट ने दुष्कर्म किया है। इस सूचना के सम्बन्ध में थाना मानिकपुर में मु0अ0स0 45/25 धारा 65(1)/74/ 115(2) /351(2) बीएनएस व 3 /4(2)पॉक्सो एक्ट बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनाँक 07.04.2025 को अभियुक्त शारदा कोल उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.अपराध निरीक्षक श्री विनय विक्रम सिंह थाना मानिकपुर
2.उ0नि0श्री शम्भूशरण सिंह
3.का0 अजीजउद्दीन
4.का0 लोकेन्द्र कुमार

(6). आज दिनाँक 08.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल द्वारा थाना भरतकूप का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी द्वारा थाना परिसर की साफ सफाई कराने,मालखाना में रखे शस्त्रो को समय समय पर साफ सफाई कराने,महिला हेल्प डेस्क में आये हुए प्रार्थना पत्रों का शत-प्रतिशत समय से निस्तारण कराने,थाना कार्यालयों में रजिस्टरों का उचित रख रखाव व अध्यावधिक एवं हवालात को प्रतिदिन साफ सफाई कराने हेतु प्रभारी निरीक्षक भरतकूप को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). आज दिनाँक 08.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद द्वारा थाना मऊ का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी द्वारा थाना परिसर की साफ सफाई कराने,मालखाना में रखे शस्त्रो को समय समय पर साफ सफाई कराने,महिला हेल्प डेस्क में आये हुए

प्रार्थना पत्रों का शत-प्रतिशत समय से निस्तारण कराने,थाना कार्यालयों में रजिस्टरों का उचित रख रखाव व अध्यावधिक एवं हवालात को प्रतिदिन साफ सफाई कराने हेतु प्रभारी निरीक्षक मऊ को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी श्री फहद अली, प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(1). उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी सीतापुर मय हमराह आरक्षी रविन्द्र कुमार व आरक्षी अभिषेक कुमार द्वारा मु0नं0 73/24 धारा 125 सीआरपीसी के वारण्टी अभियुक्त माधव प्रसाद उर्फ महादेव प्रसाद पुत्र कन्धई निवासी विकास नगर अमानपुर कपसेठी चौराहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). उ0नि0 श्री रमेश तिवारी मय हमराह आरक्षी विमलेश कुमार द्वारा मु0नं0 98/2016 धारा 128 सीआरपीसी से सम्बन्धित वारण्टी भुस्सन पुत्र मुंशीलाल निषाद उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम बछोलीपुर मजरा रायपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा आज दिनाँक 08.04.2025 को थाना सरधुवा में पंजीकृत एनसीआर नं0 26/2022 धारा 323,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. बुद्धराज पुत्र सिंघवा 2.विजय कुमार उर्फ फूली पुत्र सिंघवा निवसीगण अमवा बक्टा खुर्द थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा 1500-1500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी व मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 08.04.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 51/2018 धारा 326,323,34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. मोती उर्फ श्याम सुन्दर भास्कर पुत्र मोहनलाल 2. ज्ञानमती रैदास पत्नी श्यामसुन्दर भास्कर 3.निरसा उर्फ गिरजा देवी पुत्री श्यामसुन्दर भास्कर निवासीगण हनुमानगंज कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/-5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 15.03.2018 को वादी हीरालाल पुत्र रामबहोरन निवासी रूपौतिहा टोला थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगणों द्वारा वादी के बच्चों को घर पर फोन से बुलाकर अन्दर घसीटकर मारपीट करना तथा मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देना। इस सूचना पर राजापुर में मु0अ0सं0 51/18 धारा 307,323 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री

दिनेश कुमार सिंह द्वारा की गयी थी। उ0नि0 उपरोक्त द्वारा आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 11.05.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 08.04.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 203/2018 धारा 376,366,363 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त कमल पुत्र मनोज निवासी सरधुवा थाना राजापुर(वर्तमान सरधुवा) जनपद चित्रकूट को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 09.11.2018 को एक वादिया द्वारा थाना राजापुर पर सूचना दी कि अभियुक्त कमल पुत्र मनोज निवासी सरधुवा थाना राजापुर(वर्तमान सरधुवा) जनपद चित्रकूट द्वारा उसकी पुत्री को भागकर दुष्कर्म करना। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 203/2018 धारा 363,366,376 भादवि0, 04 पॉस्को एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री बृजेन्द्र द्विवेदी द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 28.08.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(12). पायनियर्स क्लब के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की मौजूदगी में पीड़ितों को बर्तन, कपड़े एवं तिरपाल आदि देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पायनियर्स क्लब द्वारा किये जा रहे सामाजिक कार्य सराहनीय के साथ अनुकरणीय भी हैं। उन्होंने ने कहा कि इनके द्वारा इस राहत सामग्री में रोजमर्रा के भोजन सामग्री बनाने के लिए काम आने वाले दर्जनों बर्तन, तिरपाल के साथ कपड़े भी हैं जिनसे पुनः जीवन यापन में राहत मिलेगी,मानव सेवा की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि इतनीं दूर से चलकर आपकी हर मदद के लिए बीड़ा उठाया है ऐसे संकट में एक छोटी सी मदद बहुत सहारा प्रदान करती है। धुम्रपान करने वाले लोगों से अपील की गयी कि बीड़ी, सिगरेट को पूरी तरह से बूझांकर ही फेंके,महुआ बिनने वाले लोग सफाई के लिए पत्तों को जलाएं नही बल्कि झाड़ू से सफाई करें। महिलाओं से अपील की गयी कि आग को हमेशा बुझांकर रखे ताकि बढ़ती गर्मी में आगजनी न होने पाये। आपसी भाईचारा एवं इंसानी रिस्ता हर हालत में बनाएं रखे क्योकि संकट के समय यही काम आता है।

संस्था अध्यक्ष केशव शिवहरे ने कहा कि इस भीषण अग्निकांड में आप लोगों का जो नुकसान हुआ है, जो खोया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती पर हमने आपके दैनिक उपभोग की सामग्री लोटा, थाली, गिलास, कटोरी,कड़ाही, भगोना,बाल्टी, तसला, तवा, चिमटा, चमचा, छन्नी सहित 18 अदद बर्तन के साथ साड़ी, साफी, लुंगी एवम् तिरपाल आदि जो दे रहे हैं,आपको नई शुरुवात करने के लिए मददगार साबित होंगे। उन्होंने ग्रामवासियों को जागरूक करते हुए कहा कि बढ़ती गर्मी के दौरान दुबारा इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो आप लोगों को सजग रहना चाहिए। धूम्रपान करने वालों से अपील है कि बीड़ी सिगरेट के अधजले टुकड़ों को पूरी तरह से बुझा कर फेंके, महिलाएं जले हुए उपलों की राख को बाहर फेंकते समय यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं आग की कोई चिंगारी तो उसमें शेष नहीं रह गई।

खेत खलिहानों में अनावश्यक कूड़ा करकट न जलाएं विशेषकर रिहायशी इलाकों के समीप ये छोटी छोटी सावधानियां बड़े भीषण अग्निकांड को रोक सकती हैं।
एसडीएम राजापुर सुश्री हर्षिता देवडा ने कहा कि पीड़ितों को महत्वपूर्ण दैनिक जीवन की बहुउपयोगी गृहस्थी का सामान देकर पायनियर्स क्लब ने बहुत ही पुनीत कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक तमाम लोगों ने राशन सामग्री ही दिया है पर भोजन सामग्री बनाने का भरपूर सामान पायनियर्स क्लब द्वारा ही दिया गया है। संस्था के सभी लोग बधाई के पात्र हैं।
इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी केशव शिवहरे, डॉ.रामनारायण त्रिपाठी,अजय अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, डा.सी एन सिंह, अशोक द्विवेदी, अमित अग्रहरि, थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह, एसपी पीआरओ प्रदीप पाल, उ0नि0 चन्द्रमणि पाण्डेय, उ0नि0 मुन्नी लाल, लेखपाल शशांक कुमार मिश्र, ग्राम प्रधान पुनीत उपाध्याय सहित लाभार्थी एवं ग्रामवासी मौजूद रहे।

(13). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री शिवआसरे के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनाँक 08.04.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 28/2019 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधनियम व मु0अ0सं0 25/2019 धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त दीपक कुमार साहू पुत्र मनहरण साहू निवासी धौरा भाटा थाना साजा जनपद बेमेतारा छत्तीसगढ़ को क्रमशः 06 वर्ष का कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड व 03 वर्ष का कारावास 5000/- रूपये के अर्थण्ड से दण्डित किया गया

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है दिनाँक 13.06.2019 को थाना मारकुण्डी में उ0नि0 श्री मो0 अकरम के लिखित फर्द के आधार पर थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 28/2019 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधनियम व मु0अ0सं0 25/2019 धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त दीपक कुमार साहू पुत्र मनहरण साहू निवासी धौरा भाटा थाना साजा जनपद बेमेतारा छत्तीसगढ़ पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री राकेश कुमार सरोज द्वारा सम्पादित की गयी। क्रमशः दिनाँक 08.09.2019 व दिनाँक 01.08.2019 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

(14). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस टीम ने खोये हुये मोबाइल को बरामद कर मोबाइल स्वामी को सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 16.07.2024 को आवेदक दीनदयाल पुत्र बछीलाल निवासी खटवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा अपने मोबाइल खो जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। शिकायत प्राप्त होने पर थाना राजापुर पुलिस टीम उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय, कम्प्यूटर ऑपरेटर अखिलेश यादव व आरक्षी लवकुश यादव द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 08.04.2025 को मोबाइल को बरामद किया गया तथा मोबाइल स्वामी

दीनदयाल उपरोक्त को थाना राजापुर में बुलाकर सुपुर्द किया गया । मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामी को चेहरे की मुस्कान लौटी तथा पुलिस का सराहना करते हुये धन्यवाद दिया गया।

बरामदगी/सुपुर्दगी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना राजापुर
2.कम्प्यूटर ऑपरेटर अखिलेश यादव
3.आरक्षी लवकुश यादव

(15). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह मय हमराह आरक्षी उज्ज्वल पाण्डेय व आरक्षी शाकिर अली द्वारा अभियुक्त बच्चा निषाद पुत्र स्व0 रामऔतार निवासी ग्राम टिकरा थाना राजापुर जिला चित्रकूट को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(16). आज दिनाँक 08.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी के समस्त विवेचकों का अर्दली रूम किया। अर्दली रूम में विवेचकों से लंबित विवेचना पर विस्तारपूर्वक वार्ता करते हुए विवेचना लंबित रखने का कारण पूछकर गुण दोष के आधार पर विवेचना के शीघ्र निस्तारण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। महिला सम्बन्धित मुकदमों में त्वरित कार्यवाही करने,वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी,प्रार्थना पत्रों का निस्तारण,आईजीआरएस में गुणवक्ता पूर्ण निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।
अर्दली रूम के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेनद्र प्रताप सिंह,निरीक्षक अपराध श्री लाखन सिंह,चौकी प्रभारी सीतापुर श्री अनिल कुमार गुप्ता,चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री शनि चतुर्वेदी एवं अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।